

CHAPTER -VII  
ACCOUNTS AND RECORDS

**Rule 56 : Maintenance of accounts by registered persons**

- (1) Every registered person shall keep and maintain, in addition to the particulars mentioned in sub-section (1) of section 35, a true and correct account of the goods or services imported or exported or of supplies attracting payment of tax on reverse charge along with the relevant documents, including invoices, bills of supply, delivery challans, credit notes, debit notes, receipt vouchers, payment vouchers and refund vouchers.
- (2) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall maintain accounts of stock in respect of goods received and supplied by him, and such account shall contain particulars of opening balance, receipt, supply, goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free sample and balance of stock including raw materials, finished goods, scrap and wastage thereof.
- (3) Every registered person shall keep and maintain a separate account of advances received, paid and adjustments made thereto.
- (4) Every registered person, other than a person paying tax under section 10, shall keep and maintain an account, containing the details of tax payable (including tax payable in accordance with the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 9), tax collected and paid, input tax, input tax credit claimed, together with a register of tax invoice, credit notes, debit notes, delivery challan issued or received during any tax period.
- (5) Every registered person shall keep the particulars of -
  - (a) names and complete addresses of suppliers from whom he has received the goods or services chargeable to tax under the Act;
  - (b) names and complete addresses of the persons to whom he has supplied goods or services, where required under the provisions of this Chapter;
  - (c) the complete address of the premises where goods are stored by him, including goods stored during transit along with the particulars of the stock stored therein.
- (6) If any taxable goods are found to be stored at any place(s) other than those declared under sub-rule (5) without the cover of any valid documents, the proper officer shall determine the amount of tax payable on such goods as if such goods have been supplied by the registered person.
- (7) Every registered person shall keep the books of account at the principal place of business and books of account relating to additional place of business mentioned in his certificate of registration and such books of account shall include any electronic form of data stored on any electronic device.
- (8) Any entry in registers, accounts and documents shall not be erased, effaced or overwritten, and all incorrect entries, otherwise than those of clerical nature, shall be scored out under attestation and thereafter, the correct entry shall be recorded and where the registers and other documents are maintained electronically, a log of every entry edited or deleted shall be maintained.

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

- (9) Each volume of books of account maintained manually by the registered person shall be serially numbered.
- (10) Unless proved otherwise, if any documents, registers, or any books of account belonging to a registered person are found at any premises other than those mentioned in the certificate of registration, they shall be presumed to be maintained by the said registered person.
- (11) Every agent referred to in clause (5) of section 2 shall maintain accounts depicting the,-
- (a) particulars of authorisation received by him from each principal to receive or supply goods or services on behalf of such principal separately;
  - (b) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received on behalf of every principal;
  - (c) particulars including description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services supplied on behalf of every principal;
  - (d) details of accounts furnished to every principal; and
  - (e) tax paid on receipts or on supply of goods or services effected on behalf of every principal.
- (12) Every registered person manufacturing goods shall maintain monthly production accounts showing quantitative details of raw materials or services used in the manufacture and quantitative details of the goods so manufactured including the waste and by products thereof.
- (13) Every registered person supplying services shall maintain the accounts showing quantitative details of goods used in the provision of services, details of input services utilised and the services supplied.
- (14) Every registered person executing works contract shall keep separate accounts for works contract showing -
- (a) the names and addresses of the persons on whose behalf the works contract is executed;
  - (b) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services received for the execution of works contract;
  - (c) description, value and quantity (wherever applicable) of goods or services utilized in the execution of works contract;
  - (d) the details of payment received in respect of each works contract; and
  - (e) the names and addresses of suppliers from whom he received goods or services.
- (15) The records under the provisions of this Chapter may be maintained in electronic form and the record so maintained shall be authenticated by means of a digital signature.
- (16) Accounts maintained by the registered person together with all invoices, bills of supply, credit and debit notes, and delivery challans relating to stocks, deliveries, inward supply and outward supply shall be preserved for the period as provided in section 36 and shall, where such accounts and documents are maintained manually, be kept at every related place of business mentioned in

**Central Goods & Services Tax Rules, 2017**

the certificate of registration and shall be accessible at every related place of business where such accounts and documents are maintained digitally.

- (17) Any person having custody over the goods in the capacity of a carrier or a clearing and forwarding agent for delivery or dispatch thereof to a recipient on behalf of any registered person shall maintain true and correct records in respect of such goods handled by him on behalf of the such registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer.
  - (18) Every registered person shall, on demand, produce the books of accounts which he is required to maintain under any law for the time being in force.
-

## अध्याय 7 लेखे और अभिलेख

### नियम 56 : रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा लेखाओं का रख रखाव

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 35 की उपधारा (1) में वर्णित विशिष्टियों के अतिरिक्त आयात या निर्यात या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं, जिन पर विपरीत प्रभार पर कर का संदाय आकृष्ट होता है, का सत्य और सही लेखा रखने के साथ सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत बीजक, प्रदाय के बिल, परिदान चालान, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, प्राप्ति वाउचर, संदाय वाउचर तथा प्रतिदाय वाउचर हैं, रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- (2) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा प्राप्त किए गए और प्रदाय किए गए मालों के संबंध में स्टॉक के लेखे रखेगा और ऐसे लेखाओं में अतिशेष, प्राप्ति, प्रदाय, खो गए माल, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, बट्टे खाते में डाले या उपहार या निःशुल्क नमूने के रूप में दिए गए माल तथा स्टॉक के शेष, जिसके अंतर्गत कच्ची सामग्रियां, तैयार माल, स्क्रेप और उनकी छीजन सम्मिलित है, की विशिष्टियां सम्मिलित होंगी।
- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्राप्त अग्रिमों, उनका संदाय और समायोजन के पृथक् लेखे रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।
- (4) धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति एक लेखा रखेगा और उसका अनुरक्षण करेगा, जिसमें संदेय कर (धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार संदेय कर सम्मिलित है), संगृहित और संदत्त कर, इनपुट कर, दावा किया गया इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों के साथ कर बीजक का रजिस्टर, प्रत्यय टिप्पण, नामे टिप्पण, किसी कर अवधि के दौरान जारी किया गया या प्राप्त किया गया परिदान चालान अंतर्विष्ट है।
- (5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित की विशिष्टियां रखेगा,—
  - (क) प्रदायकर्ताओं का नाम और पूरा पता, जिनसे उसने अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य मालों या सेवाओं को प्राप्त किया है;
  - (ख) उन व्यक्तियों का नाम और पूरा पता, जिनको उसने मालों या सेवाओं की प्रदाय की है, जहां इस अध्याय के नियमों के अधीन अपेक्षित है;
  - (ग) उन परिसरों का पूरा पता, जहां उसके द्वारा मालों का भंडारण किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान भंडार किए गए माल सम्मिलित हैं, के साथ उनमें भंडार किए गए स्टॉक की विशिष्टियां हैं।
- (6) यदि उपनियम (5) के अधीन घोषित स्थानों से भिन्न किसी स्थान पर किन्हीं विधिमान्य दस्तावेजों के बिना कोई कराधेय माल पाया जाता है तो समुचित अधिकारी ऐसे मालों पर संदेय कर की रकम को ऐसे अवधारित करेगा जैसे ऐसे मालों की प्रदाय रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई है।
- (7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखा बहियों को और उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित अतिरिक्त कारबार के स्थान से संबंधित लेखा बहियां और ऐसी अन्य लेखा बहियों में किसी इलेक्ट्रॉनिकी युक्ति में भंडारित डाटा का कोई अन्य प्रारूप सम्मिलित है, कारबार के मूल स्थान पर रखेगा।

**केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017**

- (8) रजिस्ट्रों, लेखाओं और दस्तावेजों में की गई किसी प्रविष्टि को मिटाया, छिपाया या उसके ऊपर नहीं लिखा जाएगा और लिपिकीय प्रकृति से भिन्न अन्यथा सभी अशुद्ध प्रविष्टियों को सत्यापन के अधीन काट दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् सही प्रविष्टि को अभिलिखित किया जाएगा और जहां रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण इलैक्ट्रॉनिकी रूप में किया जाता है तो संपादित या लोप की गई प्रत्येक प्रविष्टि का लॉग रखा जाएगा।
- (9) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा मैनुअल रूप से रखी गई लेखा बहियों के प्रत्येक खंड को क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित किया जाएगा।
- (10) जब तक कि अन्यथा साबित न हो, यदि किसी दस्तावेज, रजिस्टर या कोई लेखा बही, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से संबंधित है, को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित किसी अन्य परिसर पर पाया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उस परिसर का उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है।
- (11) धारा 2 के खंड (5) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकर्ता निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए लेखे रखेगा,—
- (क) प्रत्येक प्रधान से ऐसे प्रधान के निमित्त मालों या सेवाओं को प्राप्त करने या प्रदाय करने के लिए उसके द्वारा पृथकतः प्राप्त प्राधिकृत करने की विशिष्टियां;
- (ख) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है;
- (ग) विशिष्टियां, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रधान के निमित्त पूर्ति किए गए मालों या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो), सम्मिलित है;
- (घ) प्रत्येक प्रधान को प्रस्तुत लेखाओं के ब्यौरे; और
- (ङ) प्रत्येक प्रधान के निमित्त प्राप्त किए गए या प्रदाय किए गए मालों या सेवाओं पर संदत्त कर।
- (12) मालों का विनिर्माण करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मासिक उत्पादन लेखे रखेगा, जिनमें विनिर्माण में उपयोग की गई कच्ची सामग्रियों या सेवाओं के मात्रात्मक ब्यौरे तथा इस प्रकार विनिर्मित किए गए मालों के मात्रात्मक ब्यौरे, जिसके अंतर्गत उनकी छीजन और उप-उत्पाद हैं, को दर्शित किया जाएगा।
- (13) सेवाओं की प्रदाय करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति लेखाओं को रखेगा, जिसमें सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किए गए मालों के ब्यौरे उपयोग की गई इनपुट सेवाओं के ब्यौरे तथा प्रदाय की गई सेवाओं के ब्यौरे उपदर्शित होंगे।
- (14) कार्य संविदा का निष्पादन करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कार्य संविदा के लिए निम्नलिखित को उपदर्शित करते हुए पृथक् लेखे रखेगा—
- (क) उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनके निमित्त कार्य संविदा का निष्पादन किया जाता है;
- (ख) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए प्राप्त मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);
- (ग) कार्य संविदा के निष्पादन के लिए उपयोजित मालों या सेवाओं का वर्णन, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हों);

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

- (घ) प्रत्येक कार्य संविदा के संबंध में प्राप्त संदाय के ब्यौरे; और
- (ङ) उन प्रदायकारों के नाम और पते, जिनसे उसने माल और सेवाएं प्राप्त की हैं।
- (15) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अभिलेखों को इलैक्ट्रॉनिकी रूप में रखा जाएगा और इस प्रकार रखे गए अभिलेखों को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यमों से अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (16) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा स्टॉक परिदान, आवक प्रदाय और जावक प्रदाय के संबंध में रखे गए लेखे, सभी बीजकों, प्रदाय बिलों, प्रत्यय और नामे टिप्पण का धारा 36 में यथा उपबंधित कालावधि के लिए परिरक्षण किया जाएगा और जहां ऐसे लेखों और दस्तावेजों का अनुरक्षण मैनुअल रूप से किया जा रहा है वहां उनको रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में वर्णित कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर रखा जाएगा और वह कारबार के प्रत्येक संबंधित स्थान पर पहुंचनीय होंगे, जहां ऐसे लेखाओं और दस्तावेजों का अनुरक्षण डिजिटल रूप से किया जाता है।
- (17) वाहक या समाशोधन और आग्रेषण अभिकर्ता की क्षमता में मालों की अभिरक्षा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त प्राप्तकर्ता को उनके परिदान या पारेषण के लिए उसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निमित्त हस्तालन किए गए ऐसे मालों के संबंध में सही और सत्य अभिलेख रखेगा तथा समुचित अधिकारी द्वारा जब और जहां अपेक्षा की जाए, उनके ब्यौरों को प्रस्तुत करेगा।
- (18) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मांग किए जाने पर उन लेखा बहियों को प्रस्तुत करेगा जिनकी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रखे जाने की उससे अपेक्षा है।